सं. 42/12/2009. पी.एण्ड पी.डब्ल्यू (जी.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,

खान मार्किट, नई दिल्ली – 110003

दिनांक 22 अक्तूबर 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :दिनांक 1.1.2009 से पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग संशोधन पूर्व वेतनमानों में अनंतिम पेंशन या पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को महगाई राहत की स्वीकृति ।

इस विभाग के दिनांक 12 सितंबर, 2008 तथा 25 सितंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/2/2008-पी.एंड पी. डब्ल्यू (जी) जिसमे दिनांक 1.7.2008 से देय महंगाई राहत की किश्त स्वीकृत की गई थी तथा इस विभाग के दिनांक 27 मार्च, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/2/2009-पी.एंड पी. डब्ल्यू (जी) जिसके द्वारा दिनांक 1.1.2009 से देय महंगाई राहत की किश्त स्वीकृत की गई थी, के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति केन्द्रीय सरकार के उन पेंशनभोगियों को महंगाई राहत स्वीकृत करते हैं जिन्हें दिनांक 1.7.2008 से 54% की दर से तथा दिनांक 1.1.2009 से 64% की दर से पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के संशोधन पूर्व वेतनमानों में अनंतिम पेंशन या पेंशन मिल रही हो ।

2. इस विभाग के दिनांक 12.9.2008 तथा 27.3.2009 के कार्यालय ज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेगी ।

3. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगियों/ कुटुम्ब पेंशन भोगियों के मामले में जहां तक इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

4. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 12.10.2009 के यू.ओ.सं. 350/ईवी./09 के तहत जारी किया जाता है ।

(राज सिंह)

निदेशक (पेंशन कल्याण)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

मानक डाक सूची के अनुसार